



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2253]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 15, 2016/भाद्र 24, 1938

No. 2253]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 15, 2016/BHADRA 24, 1938

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2016

**का.आ. 2955(अ).**—यतः केन्द्र सरकार ने दिल्ली मुख्य योजना-2021/जोन 'एम' की क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित क्षेत्र के बारे में कुछेक आशोधन करने का प्रस्ताव किया जो भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 30-3-2016 के का.आ. 1255(अ) के द्वारा सार्वजनिक सूचना के रूप में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के उपबंधों के अंतर्गत प्रकाशित किए गए थे जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिनों के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 11क की उप-धारा (3) के अंतर्गत अपेक्षित अपत्तियां/सुझाव अमंत्रित किए गए थे।

2. यतः प्राप्त अपत्तियां/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गठित जांच और सुनवाई बोर्ड द्वारा विचार किया गया है और प्रस्तावित आशोधनों के संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक में भूमि उपयोग के प्रस्तावित परिवर्तन को अनुमोदन प्रदान किया गया और

3. यतः केन्द्र सरकार ने उक्त मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली मुख्य योजना 2021 को आशोधित करने का निर्णय लिया है।

4. अतः अब, केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 11क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा दिल्ली मुख्य योजना-2021 में निम्नलिखित आशोधन करती है जो भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

आशोधन :

ब्यौरा इस प्रकार है:

क्र. सं.	अवस्थिति	क्षेत्रफल	दि.मु.यो. 2021/ क्षे.वि.यो. के अनुसार भूमि उपयोग	जिसमें भूमि उपयोग परिवर्तित की गई है	सीमाएं
1.	प्लानिंग जोन एम में सेक्टर-33 रोहिणी फेज-IV	8.90 हेक्टेयर	मनोरंजनात्मक	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएं।  (पी एस 3) खेल सुविधाएं/ परिसर/स्टेडियम/खेल केन्द्र	उत्तर : सेक्टर-32 रोहिणी  पूर्व: 30.0 मीटर चौड़ी हरित पट्टी, तथा 80 मीटर चौड़ी सड़क मार्गाधिकार (यूईआर III)  दक्षिण: भूमिगत जलाशय (मौजूदा)  पश्चिम: सेक्टर -33 रोहिणी

[फा. सं. के-13011/21/2016-डीडी-I]

भूपेन्द्र बहुगुणा, अवर सचिव

## MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2016

**S.O. 2955(E).**—Whereas, certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021/ Zonal Development Plan of Zone 'M' regarding the area mentioned here under were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. 1255(E), dated 30.03.2016 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions are required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of said notice.

2. Whereas objections/suggestions received have been considered by the Board of Enquiry & Hearing set up by DDA and proposed change of land use in the meeting of Delhi Development Authority with regard to the proposed modification and

3. Whereas the Central Government has, after carefully considering all aspects of the matter decided to modify the Master Plan for Delhi, 2021.

4. Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

**MODIFICATION:**

<b>S.No.</b>	<b>Location</b>	<b>Area (in Ha.)</b>	<b>Landuse (as per MPD- 2021 &amp; ZDP of Zone-M)</b>	<b>Landuse changed to</b>	<b>Boundaries</b>
1.	Sector-33 Rohini, Ph.-IV in Zone M.	8.90	Recreational	Public & Semi Public Facilities (PS3) Sports Facilities/ Complex/ Stadium/ Sports Centre	<b>North</b> - Sector-32, Rohini. <b>East</b> – 30.0 m. wide green belt, and 80 m wide road R/W(UER-III) <b>South</b> – Under Ground Reservoir (existing) <b>West</b> – Sector-33, Rohini.

[F. No. K-13011/21/2016-DD.I]

BHUPENDRA BAHUGUNA, Under Secy.